क्रम-संख्या--355

रजिस्टर्ड नं० ए०-डी०--4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 11 अगस्त, 1980

श्रावण 20, 1902 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2273/सत्रह-वि0-1--48-1980

लखनऊ, 11 अगस्त, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 10 अगस्त, 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1980 ई० के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 19 जून, 1980 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(6) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में (जिनकी विद्यमानता का एकमात्र निर्णायक कुलाधिपति होंगे), कुलाधिपति किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकते हैं :—

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी के कारण या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से रिक्त हो जाय या रिक्त होना सम्भावित हो ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाय और उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो ; और

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में ।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव ।

No. 2273/XVII-V-1—48-1980

Dated Lucknow, August 11, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Samkhya 12 of 1980), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 1980:

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1980

[U. P. ACT NO. 12 OF 1980]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 19, 1980.

Amendment of section 11 of U.P. Act XLV of 1958.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958, *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(6) In any of the following circumstances [of the existence of which the Kuladhipati (Chancellor) shall be the sole judge], the Kuladhipati (Chancellor) may appoint any suitable person to the Office of Kulpati (Vice-Chancellor) for such term not exceeding six months, as he may specify—

(*a*) where a vacancy in the Office of Kulpati (Vice-Chancellor) occurs or is likely to occur, by reason of leave or any cause not being expiry of term ;

(*b*) where a vacancy in the Office of Kulpati (Vice-Chancellor) occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-section (1) ; and

(*c*) any other emergency."

Repeal and savings.

U. P. Ordinance no. 9 of 1980.

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Ordinance, 1980, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act referred to in section 2 as amended by the Ordinance referred in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under that Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 103 सा० (विधा०)--12-8-80--(1565)--1980--700 (मेक०)।